

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उपवान

बनाम

रोहताश

रिखपाल आदि

दावा बाबत :- 88RTACT

मुकदमा नम्बर :- 45/2021

निर्णय दिनांक :- 17-11-2021

वादी की ओर से वकील कृष्ण गौर की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 की ओर से वकील लीलाहर त्रिपाठी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोहताश के खाता सं० 170/163 के खसरा सं० पा की 49570 ई०, खसरा सं० 42 की 48810 ई० मूल 38380 ई० वारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/3 हिस्सा व रोहताश के खाता सं० 422/402 के खसरा सं० 62 की 10740 ई० वारानी खातादारी वादभूमि में प्रतिवादी सं० 2 के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसे प्रतिवादी सं० रिखपाल का नाम अन्वयण किया जाकर वादी रोहताश व प्रतिवादी सं० 2 से 2 से 1 को व हिस्सा वारकर के खातादारी काश्तकार घोषित किया जावे मुक्ति प्रतिवादी सं० 1, 3 व 4 अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 को पत्र में लया कर मुक्त कर लिया है इस लिए लया किने गये हिस्से पर पुनः अन्वयण किया जावे पत्र पत्राधिकार एवं स्वाम्य उभूटे अदा करने व यदि कृषि भूमि का कृषि वहन हो तो रजिस्ट्रार के इपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अन्वयण किया जावे राजगामा को डिक्री का लागू पडा जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़